न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नांवा (नागौर) राज.

पीठासीन अधिकारी :— श्री एस.एम.शाह, आर.ए.एस.

प्रार्थी :— बनाम अप्रार्थीगण :—

पृथ्वीसिंह पुत्र कानसिंह राजपूत

सा. भगवानपुरा तह. नांवा

1. रामेश्वरलाल पुत्र नाथूराम खटीक सा. भगवानपुरा
2. नेमीचन्द पुत्र नाथूराम खटीक सा. भगवानपुरा
3. छीतर पुत्र पुसाराम बलाई सा. अजीतपुरा
4. मंगला पुत्र पुसाराम बलाई सा. अजीतपुरा
5. मंगला पुत्र चतराराम रैगर सा. भगवानपुरा
6. उप पंजीयक नांवा
7. तहसीलदार नांवा

दावा बाबत :— अन्तर्गत धारा 251ए (2) आर.टी.ए.

उपस्थित :— श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा वकील प्रार्थी

मुकदमां नम्बर :— 23/2017

निर्णय दिनांक :— 17.7.17

निर्णय

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए के तहत पेश कर ग्राम भगवानपुरा में अपनी खातेदारी सुदा भूमि खसरा नम्बर 271, 277 कुल रकबा 2.24 हैक्टयर भूमि में आने जाने हेतु अप्रार्थी की खातेदारी सुदा भूमि खसरा नम्बर 251 रकबा 3.02 हैक्टयर में से रास्ते की मांग की हैं। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। तथा भू. अभिलेख निरीक्षक को मौका कमीश्नर नियुक्त कर मौका रिपोर्ट तलब की गई।

अप्रार्थीगण के नोटिस तामील सुदा प्राप्त होने के बावजूद बार बार अवाज लगाऐ जाने पर अनुपस्थित रहे है। भू. अभिलेख निरीक्षक ने मौका रिपोर्ट पेश की हैं जिसके अनुसार प्रार्थी की खातेदारी सुदा भूमि खसरा नम्बर 271 के सबसे नजदीक कटाणी रास्ता नांवा— सीकर मार्ग खसरा नम्बर 244 स्थित हैं तथा खसरा नम्बर 245, 250, 251 संयुक्त खातेदारी में दर्ज रिकार्ड हैं तथा मौके पर भौतिक रूप से बंटवारा होकर अलग अलग काबिज काश्त हैं जिसमें अनुसार मार्क A,B,C,D रामेश्वरलाल, नेमीचन्द पि. नाथूलाल जाति खटीक के

Sd/- 17/7/17

अधिकारी

कब्जे काश्त में स्थित हैं जिसमें मौका रिपोर्ट में वर्णित मार्क ए से बी मिट्टी की डोल लगी हुई हैं तथा उक्त डोल के पश्चिमी तरफ खसरा नम्बर 251 रकबा 3.02 हैक्टयर में से 120 मीटर लम्बाई व 4 मीटर चौड़ाई में रास्ता प्रस्तावित किया हैं वकील प्रार्थी ने मौका रिपोर्ट में प्रस्तावित रास्ता घोषित किऐ जाने हेतु सहमति दी हैं।

उपरोक्त विवेचन के अनुसार प्रार्थी की खातेदारी सुदा भूमि खसरा नम्बर 271 के चारो तरफ कोई कटाणी रास्ता नहीं हैं ना ही रास्ते का कोई विकल्प मौजूद हैं मौका रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थी की खातेदारी भूमि में सबसे नजदीक 244 हैक्टयर नांवा से सीकर मार्ग स्थित हैं जिससे दक्षिणी तरफ खसरा नम्बर 251 के पश्चिमी तरफ मिटी की डोल के पश्चिमी 120 मीटर लम्बाई एवं 4 मीटर चौड़ाई में रास्ता प्रस्तावित किया हैं जो सबसे नजदीक एवं उपर्युक्त होना बताया हैं मौका रिपोर्ट प्रार्थी की उपस्थित में तैयार की हैं जिसको सही होना स्वीकार किया हैं अप्रार्थीगण ने बावजूद नोटिस तामील के अनुपस्थित रहे है। राजस्थान काश्कारी अधिनियम 1955 की धारा 251ए में किसी कृषि भूमि के उपयोग उपभोग हेतु रास्ते का कोई विकल्प नहीं होने व चारो ओर कोई कटाणी रास्ता नहीं लगने पर रास्ता दिऐ जाने का प्रावधान किया गया हैं इस प्रकरण में भी प्रार्थी की खातेदारी भूमि तक आने जाने का कोई विकल्प मोजूद नहीं हैं जिससे प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम भगवानपुरा के खसरा नम्बर 251 रकबा 3.02 हैक्टयर भूमि में से मौका रिपोर्ट में वर्णित मार्क ए से बी 120 मीटर लम्बाई में एवं 4 मीटर चौड़ाई में गै.मु. कटाणी रास्ता घोषित किया जाता है। तदुसार अप्रार्थीगण की खातेदारी में से कम कर गै.मु. कटाणी रास्ता दर्ज किया जावे, एवं रास्ते में गई भूमि के बदले वर्तमान डी.एल.सी. दर से गणना करते हुऐ दो गुणा राशि प्रार्थी से वसूल कर अप्रार्थीगण को उनके हक हिस्से माफिक भुगतान किया जावे। तहरीर जारी हो।

यह आदेश आज दिनांक 13.7.17 को न्यायालय मे सुनाया गया।

13/7/17

(एस.एम.शाह)

उपखण्ड अधिकारी, नांवा

उपखण्ड अधिकारी नांवा